न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 299/23 — निर्णय दिनांकः— 30-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/386)

1. करणीसिंह पुत्र श्योदानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29—08—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29—08—1998 जिसके द्वारा अपीलांट् का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 29 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 139/20 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मुरब्बें में जिप्सम/नाजायज आबादी, गैर मुमकिन कुईया होने के कारण आवटन योग्य नहीं होने एवं उक्त भूमि खनिज विभाग को आवंटन हेतु राज्य सरकार में विचाराधीन है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–08–1998 के विरूद्व अपील दिनांक 08–11–23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही खनिज विभाग को आवंटित हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष लम्बित होने के कारण अपीलांट् का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट किसी प्रकार का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–08–1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 08–11–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते 29 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 139/20 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि खनिज विभाग को आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव लम्बित है। अतः आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राज्य गजट में विशेष आवंटन श्रेणी में आवंटन हेतु गजट 1998 में प्रकाशित होने के आधार पर अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि 29 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 139/20 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा के आवंटन हेतु वर्ष 1996 में आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा धरोहर राशि 500/— रूपये जरिये चालान दिनांक 31—12—1996 को जमा कराये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त भूमि पर जिप्सम होने के कारण व उक्त भूमि के खजिन विभाग को आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार में प्रस्ताव प्रेषित है। प्रकरण में जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जानकारी आ चुकी थी कि अपीलांट् द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन अपीलांट् को नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र की मांग किया जाना एवं कालान्तर में धरोहर राशि जमा करवाया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रकिया का उल्लंघन है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिक प्रावधानों एवं आवंटन नियमों की भी अनेदखी किया जाना परिलक्षित होता है। क्योंकि विधि द्वारा ऐसे आवंटनों के संबंध में विशेष आवंटन नियम 13ए (5) (4) परन्तुक में विशेष प्रावधान किये गये है। इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) परन्तुक की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—

Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative unallotted land out of those lands which were previously notified and Applications were inviting for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपयुर्क्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि **नियम 13–ए (5) (4) – प्रोविजो के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति नियम 7 (1) के प्राथमिकताओं में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो भी उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, यदि ऐसी अनावंटित भूमि के आवंटन के लिये अन्य आवेदकों के कोई आवेदन लम्बित नहीं हो।** प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

7. अतः उक्त नियम व नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–08–1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर